भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1605

दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

यौनकर्मियों संबंधी सर्वेक्षण

1605. श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में देश में 40 लाख से अधिक यौनकर्मियों में से 30 प्रतिशत यौनकर्मी बाल आयु के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने हाल ही में देश में यौनकर्मियों और इस व्यापार में बच्चों की उपस्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा यौनकर्मियों, विशेषकर बच्चों के कल्याण, बचाव और पुनर्वास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ड.) क्या विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों से बच्चों को दुर्व्यापार से बचाने और उनके अवैध व्यापार के संबंध में पुलिस, राज्य सरकारों और राज्य कानून तथा व्यवस्था एजेंसियों के बीच कोई समन्वय नहीं है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (च) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) का संचालन कर रहा है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुन: एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखभाल और सुरक्षा के मानकों

को परिभाषित करता है। देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों में अन्य बच्चों के साथ मानव दुर्व्यापार के शिकार बच्चे भी शामिल हैं।

जेजे अधिनियम, 2015 (धारा 27-30) के तहत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी) के संबंध में ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक या एक से अधिक सीडब्ल्यूसी का गठन किया जाता है। समिति में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार अपने विवेक से नियुक्त करती है, जिनमें से कम से कम एक महिला है और दूसरा बच्चों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। अधिनियम देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे (सीएनसीपी) को सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, या यह बच्चों को समिति के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने के मामलों में स्वत: संज्ञान ले सकता है और देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों तक पहुँच सकता है। सीडब्ल्यूसी बच्चे की देखरेख योजना के आधार पर देखरेख, सुरक्षा, उपयुक्त पुनर्वास या सीएनसीपी की बहाली सुनिश्चित करती है और इस संबंध में माता-पिता / अभिभावकों / बाल गृहों को उपयुक्त सुविधा के लिए आवश्यक निर्देश देती है।

सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट की बेंच के रूप में कार्य करता है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त करता है। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जाना होता है। अधिनियम अपने अभिभावक से अलग पाए गए बच्चे की अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान करता है।सूचना न देना दंडनीय अपराध माना गया है। उन्हें बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिदेश प्राप्त है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, जेजे अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को के लिए राष्ट्रीय/राज्य आयोगों को अधिनियम (धारा 109) के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिकृत करता है। इसके अलावा, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, जेजे अधिनियम, 2015 के निष्पादन करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की होती है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 107, राज्य सरकारों/संघद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा बच्चों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिले और शहर के लिए एक विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के गठन का प्रावधान करती है।

मंत्रालय, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्वनिर्धारित लागत साझाकरण पैटर्न पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों के माध्यम से "मिशन वात्सल्य" (पूर्व बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम) नाम से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर

रहा है। मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयुके अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि का समर्थन करते हैं।

केंद्र सरकार कानून और व्यवस्था के संबंध में कई पहल और उपाय करके राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। इसने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 'निर्भया फंड' के तहत मौजूदा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) को सुदृढ़ करने और राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिलों को शामिल करने वाले नए एएचटीयू की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार न्यायिक और पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और उन्हें मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानून के नवीनतम प्रावधानों पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर "न्यायिक संगोष्ठी" और "राज्य स्तरीय सम्मेलन" आयोजित करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 'मिशन शक्ति' नाम की अम्ब्रेला स्कीम के तहत 'शक्ति सदन' के घटक का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत 'उज्ज्वला' और 'स्वाधारगृह' की पूर्व स्कीमों को मिला दिया गया है। 'शक्ति सदन' के घटक में देश भर में वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास, पुनर्एकीकरण और दुर्व्यापार के पीड़ितों के प्रत्यावर्तन के प्रावधान हैं। राज्य सरकारें उन जिलों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं जिन पर दुर्व्यापार के मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम के उद्देश्यों में (i) पीड़ितों को आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा उपचार सहित परामर्श, कानूनी सहायता और मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी बुनियादी सुविधाएं/आवश्यकताएं प्रदान करके तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह की पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, और (ii) बड़े पैमाने पर पीड़ितों को परिवार और समाज में फिर से शामिल करने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 05.08.2022 को आयोग ने 'यौन कर्मियों के सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियों' पर हितधारकों के साथ यौनकर्मियों के सामने आने वाले मुद्दों को समझने और यौनकर्मियों के मुख्यधारा में आने के अधिकारों की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए एक परामर्श का आयोजन किया था। देश में बच्चों सहित यौनकर्मियों के संबंध में रिपोर्ट मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

*****